संख्या:19/2021/640/46-1-21-20(02)/2020

प्रेषक,

बच्चू लाल,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

गन्ना एवं चीनी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

चीनी उद्योग अनुभाग-1 लखनऊः दिनांक 27 मार्च,2021

विषय- उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद, शाहजहॉपुर को वित्तीय वर्ष 2020-21 में गैर वेतन मदों में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष विभिन्न मदों हेतु तृतीय किश्त के रूप में धनराशि रू.226.50 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अपने पत्र संख्या: 220/लेखा-बजट, दिनांक 18-03-2021 एवं पत्र संख्या: 226/लेखा-बजट(चीनी), दिनांक 23-03-2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में उत्तर प्रदेश, गन्ना शोध परिषद, शाहजहॉपुर को 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद में "आवश्यक निर्माण एवं विशेष मरम्मत" कार्य हेतु **संलग्नक-1** में उल्लिखित कार्ययोजनाओं के कालम-3 में अंकित कुल लागत रू.155.786 लाख (रूपया एक करोड़ पचपन लाख अठहत्तर हजार छः सौ मात्र) की प्रशासकीय स्वीकृति सहित प्राविधानित धनराशि रू.708.22 लाख के सापेक्ष शासनादेश संख्या: 20/2020/704/46-1-2020-20(02)/2020, दिनांक 04-6-2020 द्वारा प्रथम किश्त के रूप में निर्गत धनराशि रू.58.25 लाख एवं शासनादेश संख्या: 07/2021/163/46-1-2020-20(02)/2020, दिनांक 11-02-2021 द्वारा द्वितीय किश्त के रूप में निर्गत धनराशि रू.314.50 लाख अर्थात कुल धनराशि रू.372.75 लाख की वित्तीय स्वीकृति के पश्चात अवशेष धनराशि रू.335.47 लाख के सापेक्ष **संलग्नक-2** में उल्लिखित विभिन्न मदों के अनुसार तृतीय किश्त के रूप में कुल **धनराशि रू.226.50 लाख (रूपये दो करोड़ छब्बीस लाख पचास हजार मात्र)** (आवश्यक निर्माण एवं विशेष मरम्मत कार्य हेतु संलग्नक-1 के कालम-4 में अंकित कार्ययोजना की कुल धनराशि रू.150.266 लाख सहित) को आपके निवर्तन पर रखे जाने की निम्नलिखित शर्तों/प्रतिन्धों के साथ श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, जिसे यथा आवश्यकता आहरित करके निदेशक, उ.प्र. गन्ना शोध परिषद, शाहजहॉपुर को व्यय/उपयोग हेतु उपलब्ध कराया जायेगा:-

---

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है

http://shasanadesh.up.gov.in

(1) स्वीकृत धनराशि का व्यय सहायता अनुदान के उद्देश्यों के अनुरूप किया जायेगा तथा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या: 1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24 मार्च,2020, शासनादेश संख्या: 5/2020/बी-1-196/दस-2020-231/2020, दिनांक 11 अप्रैल,2020 एवं शासनादेश संख्या: 6/2020/बी-1-218/दस-2020-231/2020, दिनांक 18 मई, 2020 में दिये गये निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। स्वीकृत की जा रही विभिन्न मदों की धनराशि का व्यावर्तन तथा पुनर्विनियोजन शासन की पूर्व अनुमति से ही किया जायेगा। साथ ही वित्त नियंत्रक, गन्ना आयुक्त कार्यालय स्वीकृत धनराशि को आहरित करने के पूर्व इस तथ्य की पुष्टि कर लेंगे कि गत वित्तीय वर्ष/वर्षों में विभिन्न मदों में स्वीकृत की गयी धनराशि का सुसंगत वित्तीय नियमों एवं शासनादेशों में निर्धारित शर्तों के अनुसार उपयोग किया गया है तथा समस्त उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया गया है।

(2) उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि किसी अन्य व्ययएवं मद में वहन नहीं किया जाएगा तथा मितव्ययिता के सम्बन्ध में समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत शासनादेशों एवं निर्देशों का अनुपालन अवश्य सुनिश्चित किया जाएगा।

(3) स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप में महालेखाकार, उ.प्र., प्रयागराज एवं गन्ना आयुक्त, उ.प्र., लखनऊ एवं शासन को दिनांक 31 मार्च, 2021 तक उपलब्ध कराया जाना भी सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) स्वीकृत धनराशि एकमुश्त आहरित न कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक, पी.एल.ए. अथवा पोस्ट आफिस (डिपाजिट खाते) में नहीं रखी जायेगी।

(5) वित्त नियंत्रक, गन्ना आयुक्त कार्यालय अपने स्तर से यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।

(6) कार्य की विशिष्टियॉ मानक व गुणवत्ता आदि निदेशक, शोध परिषद द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) स्वीकृत धनराशि संलग्न सूची में अंकित मदों एवं कार्यो के अतिरिक्त किसी अन्य प्रयोजन हेतु व्यय नहीं की जायेगी। निहित प्रयोजन हेतु उपयोग से यदि कोई धनराशि अवशेष बचती है तो, इस धनराशि को चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में ही वित्त विभाग को समर्पित की जायेगी।

(8) आवश्यक निर्माण एवं विशेष मरम्मत के प्रस्ताव के आगणन अधिशासी अभियंता से ही तैयार कराये जायें। निदेशक, उ.प्र. गन्ना शोध परिषद, शाहजहॉपुर तात्कालिकता तथा वरीयता का निर्धारण स्वयं करेंगे तथा इस संबंध में व्यय की जा रही धनराशि की कार्ययोजना एवं आगणन पर तथा अन्य व्ययों के संबंध में सुसंगत नियमों/आदेशों के

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है

http://shasanadesh.up.gov.in

अनुपालन सहित, नियमानुसार प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में शासन का अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाय।

3. उक्त प्रस्तरों में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन विभाग एवं उपक्रम में तैनात नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तो का किसी प्रकार का विचलन हो तो सम्बन्धित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की पूर्ण विवरण सहित सूचना तुरन्त शासन/वित्त विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

4. उपर्युक्त स्वीकृत को चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या: 24 के लेखा शीर्षक-**"2401-फसल कृषि कर्म-108-वाणिज्यिक फसलें-03-गन्ना-0303-उ.प्र. गन्ना शोध परिषद, शाहजहॉपुर को सहायता-20-सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन)"** के नामे डाला जायेगा।

5. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-6-269/दस-2021, दिनांक 27 मार्च, 2021 से प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय

बच्चू लाल

संयुक्त सचिव।

संख्या:19/2021/640(1)/46-1-2021 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ.प्र.,प्रयागराज ।
2. महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ.प्र.,लखनऊ।
3. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. वित्त नियंत्रक, कार्यालय गन्ना आयुक्त, उ.प्र.।
5. निदेशक, उ.प्र. गन्ना शोध परिषद, शाहजहॉपुर।
6. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ.प्र.,प्रयागराज ।
7. वित्त-लेखा अधिकारी, उ.प्र. गन्ना शोध परिषद, शाहजहॉपुर।
8. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6/वित्त (बजट)अनुभाग-1
9. गार्ड फाइल ।

सलंग्नकः-यथोपरि।

आज्ञा से,

सुशील कुमार शुक्ल

उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है

शासनादेश संख्या:19/2021/640/46-1-2021, दिनांक 27 मार्च, 2021 का संलग्नक-1

(धनराशि लाख रूपये में)

क्र.सं.	कार्य का नाम	कार्य की कुल लागत प्राक्कलन के आधार पर प्रशासकीय स्वीकृति	कार्य की वित्तीय स्वीकृति	निर्माण एजेन्सी का नाम
1	2	3	4	5
क-	शाहजहॉपुर			
1.	बाउन्ड्रीवाल का निर्माण	70.001	70.001	गन्ना विकास विभाग
2.	जैव रसायन प्रयोगशाला में अनुरक्षण कार्य	3.35	3.35	सहायक अभियंता, उ.प्र. गन्ना शोध परिषद
	योग(क)	73.351	73.351	
ख-	सेवरही			
1.	दक्षिण गेट के पास इन्टरलाकिंग कार्य-65 मीटर	4.889	4.889	सहायक अभियंता, उ.प्र. गन्ना शोध परिषद
2.	वर्मी कम्पोस्ट खाद मिश्रण हेतु प्लेटफार्म व शेड का निर्माण	1.624	1.624	सहायक अभियंता, उ.प्र. गन्ना शोध परिषद
3.	वर्मी कम्पोस्ट खाद गड्ढों का निर्माण	1.02	1.02	सहायक अभियंता, उ.प्र.गन्ना शोध परिषद
4.	प्रयोगशाला में प्रथम तल पर पुरूष बाथरूम की मरम्मत	0.98	0.98	सहायक अभियंता, उ.प्र.गन्ना शोध परिषद
5.	प्रयोगशाला में प्रथम तल पर महिला बाथरूम की मरम्मत	0.95	0.95	सहायक अभियंता, उ.प्र. गन्ना शोध परिषद
6.	कार्यालय व प्रयोगशाला के बीच अण्डरग्राउन्ड पाइप HDPF डालने व कृषक हास्टल, मेनगेट, बायोलोजिकल लैब व विशिष्ट अतिथि गृह के नये	1.322	1.322	सहायक अभियंता, उ.प्र. गन्ना शोध परिषद

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है

	टायलेट कनेक्शन व लैम्प पोस्ट का कार्य			
7.	मेनगेट का निर्माण(पुनरीक्षितप्राक्कलन रू.10.58 लाख के आधार पर)	10.58	5.06	सहायक अभियंता, उ.प्र. गन्ना शोध परिषद
	योग(ख)	21.365	15.845	
ग-	मुजफ्फरनगर			
1.	अतिथिगृह के सामने सडक(यूसेप)एवं चारो ओर इन्टरलाकिंग टाइल्स-0.170 कि.मी.	10.24	10.24	गन्ना विकास विभाग
2.	प्रक्षेत्र अधीक्षक कार्यालय की मरम्मत एवं रंगाई पुताई	6.32	6.32	गन्ना विकास विभाग
	योग(ग)	16.56	16.56	
घ-	पिपराइच-गोरखपुर			
1.	गन्ना शोध केन्द्र, पिपराइच में नलकूप एवं पम्प हाउस का निर्माण कार्य	41.40	41.40	गन्ना विकास विभाग
	योग(घ)	41.40	41.40	
च-	लक्ष्मीपुर-कुशीनगर			
1.	गैराज(प्रक्षेत्र उपकरणों हेतु) का निर्माण	3.11	3.11	सहायक अभियंता, उ.प्र. गन्ना शोध परिषद
	योग(च)	3.11	3.11	
	महायोग-	155.786	150.266	

(रूपया एक करोड़ पचपन लाख अठहत्तर हजार छः सौ मात्र)

सुशील कुमार शुक्ल
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है

शासनादेश संख्या:19/2021/640/46-1-2021, दिनांक 27 मार्च, 2021 का संलग्नक-2

(धनराशि लाख रूपये में)

क्र.	विवरण	मदवार आवंटित धनराशि	आवंटित धनराशि के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में स्वीकृति धनराशि	आवंटित धनराशि के सापेक्ष द्वितीय किश्त के रूप में स्वीकृति धनराशि	आवंटित धनराशि के सापेक्ष स्वीकृति की जाने वाली धनराशि
1	2	3	4	5	6
	20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)				
1	विद्युत व्यय	125.00	21.00	72.00	32.00
2	प्रयोगशालाआपरेशन	30.00	5.00	17.50	2.5
3	कृषक गोष्ठी/प्रदर्शनी	8.00	00.00	00.00	6.00
4	विविध एवं अन्य आकस्मिक व्यय	25.00	4.10	15.00	5.00
5	आवश्यक निर्माण विशेष मरम्मत	350.00	00.00	159.00	151.00
6	उपकरण कृषि यंत्र एवं शोध जनर्ल्स	157.02	26.00	50.00	30.00
7	केन्द्रीय प्रयोगशाला	4.00	0.65	00.00	00.00
8	सेन्टर फार शुगरकेन बायोटेक्नोलोजी एवं चीनी उत्पादकता के परिप्रेक्ष्य में क्यू.टी.एल. विश्लेषण तथा जीन मैपिंग हेतु।	4.20	0.70	1.00	00.00
9	गन्ना उपज एवं चीनी परता में वृद्धि हेतु मृदा में सूक्ष्म तत्वों के स्तर का प्रबन्धन	5.00	0.80	00.00	00.00
	योग-	708.22	58.25	314.50	**226.50**

(रूपये दो करोड़ छब्बीस लाख पचास हजार मात्र)

सुशील कुमार शुक्ल
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है